आदेश जारी किए जाने के कारण राख नियंत्रण प्रणाली का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मुख्य उपस्कर सप्लाई-कर्ताओं और परियोजना प्राधिकारियों सहित सम्बन्धित एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श से परियोजना के निर्माण कार्यों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है और जहां सम्भव होता है, परियोजना हेतु निवेशों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। 210 मे०वा० के प्रथम यूनिट को 1992–93 में तथा दूसरे यूनिट को 1993–94 में चालू किए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस विद्युत केन्द्र से इसके चालू होने पर 420 मे वा० की प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त होगी।

बोधघाट जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान किया जाना

1124. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री 27 मार्च, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2867 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोधघाट जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 209.3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 4×125 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली बोधघाट जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति 16.11.78 को तथा योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी स्वीकृति 24.2.79 को दी गई थी। परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्वीकृति तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनवरी, 1979 में और पुनः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1985 में दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। राज्य सरकार से उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद वन स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाएगी।

उप बिजलीघरों को वित्त प्रदान करने की योजना

1125. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से 132 किलोवाट के उप बिजलीघरों को वित्त प्रदान किये जाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए दिशानिर्देश क्या हैं और उन उप बिजली घरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का इसी प्रकार का कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसको कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) 132 के०वी० उप-केन्द्रों का वित्त-पोषण ग्राम विद्युतीकरण निगम तथा विद्युत वित्त निगम दोनों ही द्वारा किया जाता है। मार्च, 1990 में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे 132 के०वी० उप-केन्द्र जो कि मुख्यतः